

ADB

प्र्यावरणीय प्रभाव आकलन के लिए परिशिष्ट (अद्यतन)

परियोजना संख्या: 47101-004 IND:

असम विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम – फैज-3

120 मेगावाट लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना

असम सरकार के असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (APGCL) द्वारा एशियन विकास बैंक (ADB) के लिए तैयार किया गया। यह मूल रूप से जून 2018 में पोस्ट किए गए प्र्यावरणीय प्रभाव आकलन का एक परिशिष्ट है जो <https://www.adb.org/projects/documents/ind-47101-004-eia-0> पर उपलब्ध है और इसके लिए अंतिम परिशिष्ट फरवरी 2024 को पोस्ट किया गया था जो https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/47101/47101-004-eia-en_13.pdf पर उपलब्ध है।

कार्यकारी सारांश

लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (120 मेगावाट) के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) 2014–2015 के दौरान तैयार किया गया था और 2017–2018 में अतिरिक्त अध्ययन किए गए थे। ईआईए का खुलासा 2018 में एडीबी की वेबसाइट पर और 2019 में एमओईएफ एंड सीसी की वेबसाइट पर किया गया था। 4 सितम्बर 2019 को पर्यावरण मंजूरी दी गई और इसी संशोधन 3 जनवरी 2024 को दिया गया।

ईआई के अंतरिम परिशिष्ट को परियोजना क्षेत्र में आधारित, जोकि उचित परिश्रम और आवश्यकतानुसार शमन उपायों के आधार पर तैयार किए गए थे को प्रारंभिक परियोजना के दायरे में परिवर्तनों को दर्शाने, यदि कोई हो और अतिरिक्त/अवशिष्ट पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करने के लिए तैयार किया गया था। अंतरिम ईआईए परिशिष्ट का खुलासा फरवरी 2024 में किया गया था।

ईआईए के अद्यतन परिशिष्ट में पीकिंग पावर (प्रतिदिन 10) को ध्यान में रखते हुए अनुप्रवाह और पश्चजल (downstream and backwater impact) प्रभाव आकलन शामिल है और यह प्राथमिक सर्वेक्षण डेटा और नदी की आकृति विज्ञान, जल विज्ञान और पारिस्थितिकी के नमूना पर आधारित है। इस परिशिष्ट में बांध टूटने का अंतिम विश्लेषण, पश्चजल क्षेत्रों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना के साथ–साथ पांच गांवों के लिए अगुआ/प्रारंभिक आपदा लचीलापन योजना, पानी को नदी में पंप करने से पहले टंक में सूक्ष्म छिद्रों से एकत्र किए गए अम्लीय जल अपवाह के उपचार के लिए सहमति के अनुसार डिजाइन प्रावधान, स्वचालित पीएच मीटर, डोजिंग उपकरण आदि, 10–दैनिक प्रवाह डेटा के आधार पर जलाशय संचालन मैनुअल का मसौदा, एवियन प्रजातियों पर अद्यतन डेटा, 220 केवी, 33 केवी, आर 400 केवी ट्रांसमिशन लाइनों पर पक्षी डायर्वर्टर प्रतिष्ठानों के लिए सिफारिशें, नवीन–पाए गए रियोफाइट्स, जलाशय क्षेत्र और डाउनस्ट्रीम स्थानों (और आफसेट क्षमता के संबंध में असम में अन्यत्र) में आवास की उपयुक्तता के बारे में जानकारी, साथ ही ऑफसेट प्रबंधन योजना तैयार करने और उसे लागू करने की प्रतिबद्धता, जिसमें दर्शाया जायेगा कि किस प्रकार एडीबी के सुरक्षा नीति वक्तव्य 2009 के महत्वपूर्ण आवास आवश्यकताओं को बांध अवरोधन से पहले पूरा किया जाएगा। जलाशय अवरोधन से पहले पूरक गतिविधियों की प्रतिबद्धताओं के साथ–साथ अद्यतन पर्यावरण शमन और निगरानी योजना को किया जाएगा।

प्रति घंटे प्रवाह डेटा की निगरानी के लिए जलाशय के ऊपरी हिस्से में स्वचालित जल स्तर/वेग उपकरण लगाए जा रहे हैं, जिसके आधार पर बांध संचालन योजना और इसके संबंधित प्रभावों को, यदि कोई अतिरिक्त होगा तो, जलाशय को बंद करने से पहले उचित रूप से परिष्कृत किया जाएगा। 3 जनवरी 2024 के इसी संशोधन पत्र में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रवासी जलीय प्रजातियों के अध्ययन में सभी मौसम के डेटा को एकत्र करने में लगभग एकवर्ष का समय लगेगा। एक बार पूरा हो जाने पर इसे सुरक्षा दस्तावेजों में उचित रूप से शामिल किया जाएगा और विस्तृत

रीओफाइट्स सर्वेक्षण और शमन/ऑफसेट प्रबंधन योजना के निष्कर्षों के साथ प्रकट किया जाएगा, जैसा कि लागू होगा। इनके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग-627 के लोंगकू नाला खण्ड के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन, जिसे पीडब्ल्यूडी, असम द्वारा उंचा किया जाना प्रस्तावित है (पीडब्ल्यूडी से डिजाइन अभी तक उपलब्ध नहीं है और निर्माण कार्य अभी शुरू होना है), तथा बोरोलोंगकू से लोरेलांगसू के बीच जलमग्न होने वाली दो ग्रामीण सड़कों और एनएच-627 से टॉर्टलांगसो तक की सड़क को भी उचित रूप से सुरक्षा दस्तावेजों में शामिल किया जाना चाहिए तथा जलाशय को बंद करने से पहले मंजूरी और प्रकटीकरण के लिए एडीबी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

जब तक सहमति के अनुसार प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं हो जातीं, तब तक जल विद्युत संयंत्र केवल आधार प्रवाह पर काम करेगा, न कि अधिकतम विद्युत संयंत्र के रूप में, ताकि जल स्तर और प्रवाह में दैनिक परिवर्तन के संभावित प्रभावों को रोका जा सके।

बांध के डिजाइन (भूवैज्ञानिक स्थितियों सहित) और निर्माण के दौरान सुरक्षा की समीक्षा और निगरानी, बांध सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा लगातार की जा रही है और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जलाशय को बंद करने से पहले सभी पूर्व आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाए।

जलाशय में पानी भरने से पहले सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और मॉक ड्रिल का आयोजन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) और असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के माध्यम से किया जाएगा। निचले इलाकों के गांवों में भूजल के मौजूदा स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए जागरूकता फैलाने का काम केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) के माध्यम से उनके सामान्य कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किया जाएगा।

एपीजीसीएल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जलमग्न क्षेत्र को अपेक्षित अनुमति के साथ साफ किया जाएगा (इस तरह से कि मिट्टी के ढीले होने के कारण तलछट का निर्माण और पानी के नीचे स्थलीय पौधों के खाद बनाने के कारण मीथेन उत्सर्जन न्यूनतम हो) और जल को रोकने से पहले वन विभाग के परामर्श से चरणबद्ध तरीके से साफ किया जाएगा।

एपीजीसीएल जलाशय के किनारों (दाएं और बाएं दोनों किनारे) के ढलान संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, मुख्य बांध के बहाव में दाएं किनारे के ढलान को जलाशय को बांधने से पहले समय पर शुरू किया जाएगा ताकि ढलान को स्थिर करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उपरोक्त सभी प्रतिबद्धताओं की उपलब्धियों की रिपोर्ट एडीबी को पूर्व बांध रिपोर्ट के हिस्से के रूप में दी जाएगी।

ईआईए रिपोर्ट के इस अद्यतन अंतरिम परिशिष्ट को 2018 में प्रकट किए गए ईआईए और फरवरी 2024 में प्रकट किए गए ईआईए के अंतरिम परिशिष्ट के साथ पढ़ा जाना है।